एम.पी.एस.आर.टी.सी जरिये महाप्रबन्धक एवं अन्य

बनाम

एम.रमादेवी एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 682/2008)

निर्णय दिनांक 25 जनवरी, 2008

(डॉ.अरिजीत पसायत एवं पी. सदाशिवम, जे.जे.)

मोटर वाहन अधिनियम 1988 अन्तर्गत धारा 166

वाहन दुर्घटना-अपीलार्थी-निगम के कर्मचारी की मृत्यु के कारण एम.ए.सी.टी. ने क्षतिपूर्ति प्रदान किया-उच्च न्यायालय के समक्ष निगम द्वारा अपील- दावेदारों ने कोई अपील पेश नहीं की-उच्च न्यायालय ने यह मानते हुये कि एम.ए.सी.टी. द्वारा पारित अवार्ड अपर्याप्त, क्षतिपूर्ति को बढाया-अपीलार्थी-निगम ने यह दलील दी कि दावेदारों द्वारा अपील के अभाव में, उच्च न्यायालय को क्षतिपूर्ति की राशि में बढोतरी नहीं करनी चाहिये थी-अभिनिर्धारितः अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि एम.ए.सी.टी./न्यायालय दावा की गई राशि से अधिक क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दे सकता है-एम.ए.सी.टी./न्यायालय का कार्य अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर "न्यायसंगत" क्षतिपूर्ति देना है।

मोटर दुर्घटना- अपीलार्थी/निगम के 40 वर्षीय कर्मचारी की मृत्यु कारित होना-क्षतिपूर्ति की गणना-गुणक-अभिनिर्धारितः एम.ए.सी.टी. और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा अपनाये गये 12 के बजाय 10 के गुणक को अपनाकर क्षतिपूर्ति दिया जावेगा।

प्रत्यर्थीगण ने धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दावा याचिका दायर कर अपीलार्थी-निगम के कर्मचारी की मोटर वाहन से दुर्घटना में मृत्यु के लिये क्षतिपूर्ति की मांग की। दावा न्यायाधिकरण ने मृतक की आयु 40 वर्ष और उसका वेतन 2367/- रुपये प्रतिमाह मानते हुये और उसके बाद 12 का गुणक लागू करते हुये क्षतिपूर्ति का आदेश दिया। न्यायाधिकरण ने गैर आर्थिक नुकसान और स्नेह, वात्सल्य व सहवास के लिये रुपये 20,000/-राशि का अवार्ड भी दिया। कुल क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया गया था। अपीलार्थी-निगम ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल की, लेकिन दावेदार-प्रत्यर्थीगण ने कोई अपील दायर नहीं की। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित अवार्ड अर्पयाप्त था तथा मृतक का मासिक वेतन 3536/-रुपये मानते हुये और उसके बाद 12 के गुणक को अपनाया और क्षतिपूर्ति राशि बढाई। न्यायालय ने गैर आर्थिक नुकसान और संघ के लिये न्यायाधिकरण द्वारा

रुपये 20,000/- के अतिरिक्त अवार्ड को पुष्ट किया लेकिन कुल क्षतिपूर्ति राशि पर देय ब्याज 12 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम करते हुये 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष किया गया।

अपीलार्थी-निगम का तर्क है कि दावेदारों-प्रत्यर्थीगण द्वारा किसी भी अपील के अभाव में उच्च न्यायालय को क्षतिपूर्ति की राशि में बढोत्तरी नहीं करनी चाहिये थी और उच्च न्यायालय ने एक उच्चतर गुणक को अपनाने में गलती की थी।

अपील को आंशिक रुप से स्वीकार करते हुये न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित कियाः

1. मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि न्यायाधिकरण/न्यायालय दावा की गई राशि से अधिक क्षतिपूर्ति का अवार्ड नहीं कर सकता हो। न्यायाधिकरण/न्यायालय का कार्य यह है कि वह ऐसी "न्यायसंगत "क्षतिपूर्ति का अवार्ड पारित करे जो अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उचित हो। यहां तक कि धारा 158 की उपधारा (6) के तहत दावा अधिकरण को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को भी इस अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति के आवेदन के रुप में माना जा सकता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 166 की उपधारा (4) के तहत दिया गया है। (पैरा-9)

नागप्पा बनाम गुरुदियाल सिंह व अन्य (2003) 2 एस.सी.सी.274- पर भरोसा किया।

2.1. प्रदर्श ए/7 के आकडे को ध्यान में रखते हुये, मासिक आय 3,000/- रुपये मानी जाती है और उसमें से एक तिहाई कटौती के बाद वार्षिक योगदान रुपये 24,000/- निर्धारित किया जाता है। (पैरा-11)

2.2. 10 के गुणक को अपनाने पर दावेदारों को देय राशि रुपये 2,40,000/- होगी और इस राशि में से गैर आर्थिक नुकसान और व्यय के लिये न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित रुपये 20,000/- की राशि को जोडा जाएगा क्योंकि निगम द्वारा इस तरह की राशि के अवार्ड को कोई चुनौती नहीं दी गई थी इसलिये दावेदार रुपये 2,60,000/- प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं । उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत की ब्याज दर में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। (पैरा-12)

सिविल अपील क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 682/2008

आंधप्रदेश उच्च न्यायालय बैन्च हैदराबाद के विविध दीवानी अपील संख्या 784/2002 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 27.11.2003

सुश्री के.राधारानी, पी.विजयकुमार और डी.महेशबाबू, अधिवक्ता अपीलार्थीगण

जी.वी.आर.चौधरी एवं के.शिवराज चौधरी, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

डॉ.अरिजीत पसायत, जे.

1. सुनवायी हेतु मंजूरी दी गई।

2. इस अपील में आंधप्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी-निगम ने मोटर वाहन दुघर्टना न्यायाधिकरण एवं प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, आर.आर. जिला सरुरनगर, हैदराबाद (जिसे "न्यायाधिकरण" के नाम से निर्दिष्ट किया जाएगा) द्वारा दिये गये फैसले की शुद्वता पर सवाल उठाते हुये उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

3. पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः

प्रत्यर्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति का दावा करते हुये मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत एक दावा याचिका एम.नागेश्वर राव (जिसे "मृतक" के रुप में संबोधित किया जाएगा) की मृत्यु के सम्बन्ध में रुपये 5,00,000/-की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु दायर की गई थी। मृतक अपीलार्थी-निगम में दिनांक 18.05.1998 को चालक के रुप

कार्य कर रहा था। दावा याचिका में कहा गया था कि निगम से संबंधित बस नम्बर ए.पी.10.जैड.998 के उपेक्षा व लापरवाही से चलाने के कारण मृतक की मृत्यु हो गई। यह दावा किया गया था कि मृतक की आयु 38 वर्ष थी और वह निगम का कर्मचारी था और अपीलार्थी-निगम से रुपये 4467.50/- प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता था। अपीलार्थी-निगम ने न्यायाधिकरण के समक्ष आपत्ति दर्ज की कि वह कोई भी क्षतिपूर्ति देने के लिये उत्तरदायी नहीं है। दावा किये गये वेतन की मात्रा एवं उम्र पर भी विवाद था।

4. न्यायाधिकरण ने पाया कि मृतक की उम्र 40 साल थी और उसे 4000/-रुपये वेतन मिलता था तथा कटौती के बाद घर ले जाने वाला वेतन रुपये 2367/- था और कुल परिलाभ 3983/- रुपये था। 12 के गुणक को लागू करने पर पात्रता रुपये 2,16,000/-रुपये निर्धारित की गई थी, इसके अलावा गैर आर्थिक नुकसान के लिये रुपये 15000/- एवं 5000/-रुपये स्नेह, वात्सल्य व सहवास के रुप में अवार्ड पारित किया गया। इस प्रकार कुल क्षतिपूर्ति 2,46,000/-रुपये तय किया गया। इसका 12% प्रतिवर्ष की ब्याज दर के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

5. अपीलार्थी-निगम ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दावेदारों ने कोई अपील नहीं की। उच्च

न्यायालय ने माना कि दिया गया एवार्ड अपर्याप्त था और उचित क्षतिपूर्ति नहीं दी गई थी।

6. उच्च न्यायालय का अभिमत था कि मृतक का वेतन 2367/- रुपये नहीं बल्कि 3536/-रुपये था, न्यायाधिकरण ने वेतन 2367/- रुपये माना था। तदनुसार व्यक्तिगत व्यय के लिये एक तिहाई कटौती करने के बाद 3500/-रुपये मूल वेतन तय किया। मासिक योगदान 2333/- रुपये व वार्षिक योगदान 27996/-रुपये तय किया। 12 के गुणक के आधार पर 3,35,952/-रुपये की पात्रता निर्धारित की गई जिसमें न्यायाधिकरण द्वारा अतिरिक्त रुप से 20,000/-रुपये की दी गई राशि जोडी गई।

7. अपील के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-निगम ने तर्क दिया कि जब दावेदारों द्वारा कोई अपील नहीं की गई थी तो अपीलार्थी-निगम द्वारा दायर अपील में उच्च न्यायालय द्वारा राशि नहीं बढायी जानी चाहिये थी तथा प्रस्तुत किया गया गुणक अधिक था।

8. दूसरी ओर अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा दावा की गई राशि से अधिक मुआवजा देने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यह भी तर्क दिया कि ब्याज को घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया था, जिसे न्यायाधिकरण द्वारा 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

इसलिये यह तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के आदेश में कोई कमी नहीं है।

9. नागप्पा बनाम गुरुदियाल सिंह व अन्य (2003) 2 एस.सी.सी.274-पैरा 21 में यह अभिनिर्धारित किया किः-

> "उपरोक्त विवेचित किये गये कारणों के लिये हमारी राय में मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि न्यायाधिकरण/न्यायालय दावा की गई राशि से अधिक क्षतिपूर्ति का अवार्ड नहीं कर सकता हो। न्यायाधिकरण/ न्यायालय का कार्य यह है कि वह ऐसी "न्यायसंगत "क्षतिपूर्ति का अवार्ड पारित करे जो अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उचित हो। इसके अलावा, ऐसे मामलों में दावे के कालातीत होने का कोई प्रश्न ही नहीं है या यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि क्षतिपूर्ति को बढाने से वाद कारण में बदलाव होगा। यहां तक कि धारा 158 की उपधारा (6) के तहत दावा अधिकरण को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को भी इस अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति के आवेदन के रुप में माना जा सकता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 166 की उपधारा (4) के तहत दिया गया है। यदि आवश्यक

हो तो न्यायालय उपर्युक्त मामलो में दावा याचिका में संशोधन की अनुमति दे सकता है।"

10. दूसरा प्रश्न जिस पर निर्णय लिया जाना है वह यह है कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा आय को सही तरीके से अपनाया गया है और उच्च न्यायालय सही था और क्या सही गुणक को अपनाया गया है।

11. प्रदर्श ए/7 के आकडे को ध्यान में रखते हुये, मासिक आय 3,000/- रुपये मानी जाती है और उसमें से एक तिहाई कटौती के बाद वार्षिक योगदान रुपये 24,000/- निर्धारित किया जाता है।

12. 10 के गुणक को अपनाने पर दावेदारों को देय राशि रुपये 2,40,000/- होगी और इस राशि में से गैर आर्थिक नुकसान और व्यय के लिये न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित रुपये 20,000/- की राशि को जोडा जाएगा क्योंकि निगम द्वारा इस तरह की राशि के अवार्ड को कोई चुनौती नहीं दी गई थी इसलिये दावेदार रुपये 2,60,000/- प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत की ब्याज दर में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2004 को दिये गये निर्देश के अनुसार निगम द्वारा 2,00,000/- रुपये की राशि जमा कर दी गई है। स्वीकृत रुप से उक्त राशि दावेदार ने प्राप्त कर ली है। शेष राशि आज से 6 सप्ताह के भीतर अपीलार्थी-निगम

द्वारा जमा की जावेगी। न्यायाधिकरण एफ.डी. राशि की निकासी/जमा के लिये उचित समझे जाने वाली शर्ते तय करेगा। इस सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है। कोई कोस्ट नहीं।

बी.बी.जी

अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शैलेष जडिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।